न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 75/2023 दायर दिनाँक 29.03.2023

वादीगण

1. सन्तोष पत्नी छोटुराम उम्र 35 वर्ष
2. छोटूराम पुत्र मूलाराम उम्र 40 वर्ष
3. मूलाराम पुत्र समराराम फौत

3/1 राजूदेवी पुत्री मूलाराम पत्नी कुंभाराम समस्त जाति नायक निवासीगण लोरोली खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. धुड़ाराम पुत्र मोहनराम मेघवाल
2. पांचुराम पुत्र मोतीराम नायक
3. लिलाराम पुत्र मोतीराम नायक
4. जड़ाव पत्नी मोतीराम नायक
5. बचपन पुत्र गंगाराम नायक
6. छगनाराम पुत्र काना नायक
7. खेताराम पुत्र काना नायक
8. तुलछी देवी पुत्री काना नायक
9. जमना देवी पत्नी खींया नायक
10. बिड़दीचन्द पुत्र खींया नायक
11. तिलोकाराम पुत्र अर्जनराम नायक
12. हीराराम पुत्र अर्जनराम नायक
13. हनुमानराम पुत्र अर्जनराम नायक
14. रामनिवास उर्फ रामकिशन पुत्र अरजाराम उर्फ अर्जुनराम नायक समस्त निवासीगण लोरोली खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
15. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, खाटू खुर्द
16. यूकों बैंक छोटी खाटू
17. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री शरीफ शैरानी वकील वादीगण।
2. श्री असलम खां वकील प्रतिवादीगण।

—:: अंतिम निर्णय ::—

दिनाँक 08.01.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह वाकै सरहद डाबगांव पटवार हल्का, लोरोली कलां के खेत खसरा सं0 411 रकबा 3.0000 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 726 रकबा 1.3200 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 729 रकबा 4.7300 हैक्टे0 बारानी 1 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 21.08.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटी खाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटी खाटू ने अपने पत्रांकः 272 दिनाँक 26.03.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटी खाटू द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटी खाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटी खाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांकः 272 दिनाँक 26.03.2024 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डाबगांव पटवार हल्का, लोरोली कलां के खेत खसरा सं0 411 रकबा 3.0000 हैक्टे0, खसरा सं0 726 रकबा 1.3200 हैक्टे0, खसरा सं0 729 रकबा 4.7300 हैक्टे0 की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 272 दिनाँक 26.03.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 272 दिनाँक 26.03.204 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **08.01.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 75/2023 दायर दिनाँक 29.03.2023

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सन्तोष पत्नी छोटुराम उम्र 35 वर्ष 2. छोटूराम पुत्र मूलाराम उम्र 40 वर्ष 3. मूलाराम पुत्र समराराम फौत 3/1 राजूदेवी पुत्री मूलाराम पत्नी कुंभाराम समस्त जाति नायक निवासीगण लोरोली खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. धुड़ाराम पुत्र मोहनराम मेघवाल 2. पांचुराम पुत्र मोतीराम नायक 3. लिलाराम पुत्र मोतीराम नायक 4. जड़ाव पत्नी मोतीराम नायक 5. बचपन पुत्र गंगाराम नायक 6. छगनाराम पुत्र काना नायक 7. खेताराम पुत्र काना नायक 8. तुलछी देवी पुत्री काना नायक 9. जमना देवी पत्नी खींया नायक 10. बिड़दीचन्द पुत्र खींया नायक 11. तिलोकाराम पुत्र अर्जनराम नायक 12. हीराराम पुत्र अर्जनराम नायक 13. हनुमानराम पुत्र अर्जनराम नायक 14. रामनिवास उर्फ रामकिशन पुत्र अरजाराम उर्फ अर्जुनराम नायक समस्त निवासीगण लोरोली खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 15. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, खाटू खुर्द 16. यूकों बैंक छोटी खाटू 17. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 08.01.2025

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शरीफ शैरानी वकील वादीगण, श्री असलम खां वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डाबगांव पटवार हल्का, लोरोली कलां के खेत खसरा सं0 411 रकबा 3.0000 हैक्टे0, खसरा सं0 726 रकबा 1.3200 हैक्टे0, खसरा सं0 729 रकबा 4.7300 हैक्टे0 की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 272 दिनाँक 26.03.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 272 दिनाँक 26.03.204 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिग............–............... बाबत.......................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.01.2025 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner